



प्रेषक,

आर्यका अखौरी,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि०,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 26 फरवरी, 2026

विषय- उ०प्र० मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के मुख्यालय तथा नियंत्रणाधीन जनपदीय वेयर हाउसों हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-466/पांच-1-2020-5(36)/2017, दिनांक 28.02.2020, संख्या-545/पांच-1-2020-5(36)/2017, दिनांक 17.04.2020, संख्या-584/पाँच-1-2020-5-(36)/2017, दिनांक 05.06.2020 एवं शासनादेश संख्या-आई/942128/2025, दिनांक 23 अप्रैल, 2025 द्वारा सृजित पदों की निरन्तरता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-यूपीएमएससीएल/प्र.नि./04/2025-26/1484, दिनांक 22.01.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में उ०प्र० मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के मुख्यालय तथा नियंत्रणाधीन जनपदीय वेयर हाउसों हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-466/पांच-1-2020-5(36)/2017, दिनांक 28.02.2020, शासनादेश संख्या-545/पांच-1-2020-5(36)/2017, दिनांक 17.04.2020 एवं शासनादेश संख्या-584/पाँच-1-2020-5-(36)/2017, दिनांक 05.06.2020 द्वारा सृजित कुल 401 अस्थाई पदों की निरन्तरता शासनादेश संख्या-38/पांच-1-2025-5(36)/2017, दिनांक 23.01.2025 द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 28.02.2026 तक के लिये बढ़ायी गयी थी। उक्त के पश्चात शासनादेश संख्या-आई/942128/2025, दिनांक 23 अप्रैल, 2025 द्वारा उ०प्र० मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के मुख्यालय के लिये प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने हेतु 04 अस्थाई पदों का सृजन किया गया है।

अतः उ०प्र० मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के मुख्यालय तथा नियंत्रणाधीन जनपदीय वेयर हाउसों हेतु शासनादेश संख्या-466/पांच-1-2020-5(36)/2017, दिनांक 28.02.2020, शासनादेश संख्या-545/पांच-1-2020-5(36)/2017, दिनांक 17.04.2020 एवं शासनादेश संख्या-584/पाँच-1-2020-5-(36)/2017, दिनांक 05.06.2020 द्वारा पूर्व से सृजित 401 अस्थाई पदों तथा शासनादेश संख्या-आई/942128/2025, दिनांक 23 अप्रैल, 2025 द्वारा उ०प्र० मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के मुख्यालय के लिये प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने हेतु सृजित 04 अस्थाई पदों, इस प्रकार सृजित कुल 405

अस्थाई पदों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में दिनांक 01.03.2026 से 28.02.2027 तक बढ़ाये जाने हेतु श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

मुख्यालय हेतु पदों का सृजन:-

क्रम सं०	पदनाम एवं विभाग	शासनादेश संख्या- 466/पांच-1-2020- 5(36)/2017, दिनांक 28 फरवरी, 2020, एवं शासनादेश संख्या- 545/पांच-1-2020- 5(36)/2017, दिनांक 17 अप्रैल, 2020 द्वारा स्वीकृत पद	शासनादेश संख्या- 584/पांच-1-2020- 5(36)/2017, दिनांक 05 जून, 2020 द्वारा स्वीकृत पद	शासनादेश संख्या- आई/942128/2025, दिनांक 23 अप्रैल, 2025 द्वारा स्वीकृत पद
1.	प्रबन्ध निदेशक प्रबन्धन	01	--	-
2.	अपर प्रबन्ध निदेशक प्रशासन	01 (प्रबन्धन)	--	-
3.	कम्पनी सचिव (निगम कार्य)	01	--	-
4.	वित्त नियंत्रक (वित्तीय योजना एवं विश्लेषण)	01	--	-
5.	सलाहकार गुणवत्ता नियंत्रण	01 (औषधि उपार्जन)	--	-
6.	सलाहकार (उपकरण एवं सेवायें उपार्जन) उपकरण उपार्जन		01	-
7.	सलाहकार लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउस आपूर्ति शृंखला		--	-
8.	महाप्रबन्धक वित्त एवं लेखा	05 (औषधि उपार्जन, उपकरण उपार्जन, प्रशासन मानव संसाधन एवं विधि, गुणवत्ता नियंत्रक, आपूर्ति शृंखला)	--	-
9.	प्रबन्धक वित्त एवं लेखा	--	01	-
10.	प्रबन्धक सेवायें	08 (औषधि उपार्जन, उपकरण, गुणवत्ता नियंत्रण, आई0टी0	--	-
11.	प्रबन्धक विधि	मानव संसाधन, प्रशासन, आपूर्ति शृंखला, वेयर हाउस)	01	-
12.	सहायक प्रबन्धक (वेयर हाउस) आपूर्ति	--	03	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	शृंखला			
13.	लेखाधिकारी वित्तीय योजना एवं विश्लेषण	01 (वित्त एवं लेखा/ वित्तीय योजना एवं विश्लेषण)	01	एकाउंट ऑफीसर-01 पद (प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हेतु)
14.	लेखाधिकारी वित्त एवं लेखा		01	
15.	फार्मासिस्ट औषधि उपार्जन	01	04	फार्मासिस्ट-03 पद (प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हेतु)
16.	फार्मासिस्ट गुणवत्ता नियंत्रक	01	03	-
17.	बायो-मेडिकल इंजीनियर उपकरण उपार्जन	02 (गुणवत्ता नियंत्रण, उपकरण उपार्जन)	01	-
18.	एक्जीक्यूटिव आईटी0	01	--	-
19.	एक्जीक्यूटिव/कार्यालय सहायक (निगम के सभी अनुभाग)	09	02	-
20.	कम्प्यूटर आपरेटर (निगम के सभी अनुभाग)	11	02	-
21.	वैयक्तिक सहायक	02	--	-
22.	कार्यालय सहायक	03	--	-
23.	चतुर्थ श्रेणी मुख्यालय	12	--	-
24.	सुरक्ष कर्मी/सफाई कर्मी मुख्यालय	--	आउटसोर्स आफ सर्विसेज के आधार पर	-
25.	कुल योग:-	61	20	04
			कुल पद:-	61+20+4=85

प्रदेश के 75 जनपदों के जनपदीय वेयर हाउस हेतु पदों का सृजन:-

क्रम सं०	पदनाम	पूर्व में स्वीकृत पद	नवीन स्वीकृत पद
20 बड़े जनपद हेतु			
1	फार्मासिस्ट	40	--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2	कम्प्यूटर आपरेटर 20	20	--
3	हैण्डलर	20	--
4	चतुर्थ श्रेणी	20	--
5	सफाई कर्मी एवं सुरक्षा कर्मी	--	--
55 छोटे जनपदों हेतु			
1	फार्मासिस्ट	55	--
2	कम्प्यूटर आपरेटर	55	--
3	हैण्डलर	55	--
4	चतुर्थ श्रेणी	55	--
5	सफाई कर्मी एवं सुरक्षा कर्मी	--	--
	योग:-	220	--
	कुल योग:-	320	--
	महायोग :-	85+320=405	

3- उक्त पदों की निरंतरता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

- (1) इन अस्थायी पदों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप स०-ए-2-797/दस-87-24(12)-86, दिनांक 25.05.1987 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार परीक्षण करते हुए कार्यवाही की जायेगी।
- (2) उक्त अस्थायी पद की निरन्तरता का प्रस्ताव वर्षानुवर्ष शासन को उपलब्ध कराया जायेगा एवं नियत अवधि में निरन्तरता का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध न कराने की दशा में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
- (3) उक्त अस्थायी पद के स्थायीकरण के सम्बन्ध में नियमानुसार प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) शासनादेश संख्या-466/पांच-1-2020-5(36)/2017, दिनांक 28.02.2020, शासनादेश संख्या-545/पांच-1-2020-5(36)/2017, दिनांक 17.04.2020, शासनादेश संख्या-584/पाँच-1-2020-5(36)/2017, दिनांक 05.06.2020 एवं शासनादेश संख्या-आई/942128/2025, दिनांक 23 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) प्रश्नगत सृजित पद पर आने वाले व्यय को उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि० द्वारा अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा।
- (6) यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-2574/ दस-98-24(8)/92 दिनांक 02.12.1998 में दिये गये शर्तों एवं प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीया,
आर्यका अखौरी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- वित्त नियंत्रक, उ०प्र० मेडिकल सप्लाइज कार्पोरेशन, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
- 5- चिकित्सा अनुभाग-6
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आर्यका अखौरी
विशेष सचिव।